IV 13/18 (1)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

दि० 19 JUL 2018

उत्तर PRADESH EB 105796

माँ सरस्वती एजूकेशनल एण्ड चैरिटेबुल ट्रस्ट

न्यास विलेख (Instrument of Trust)

स्टाम्प - 1100

यह न्यास विलेख आज दिनांक 23.07.2018 को आलापुर अम्बेडकरनगर में श्री जय प्रकाश यादव पुत्र श्री तीर्थराज यादव, निवासी ग्राम व पोस्ट–नेउरी, अम्बेडकर नगर, उ0प्र0 द्वारा किया गया जिन्हें आगे न्यासकर्ता/संस्थापक कहा जायेगा और क्योंकि न्यासकर्ता/संस्थापक पर रू0 5000.00 (पांच हजार रूपये मात्र) की धनराशि है जिसे की वह पुरूषार्थ एवं सामाजिक कार्यों हेतु दान देने की इच्छा करते है। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि में अप्रति संहरणीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक है जो कि समाज उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा यह ट्रस्ट " माँ सरस्वती एजूकेशनल एण्ड चैरिटेबुल ट्रस्ट " के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा।

न्यासकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न श्रोतों से जिसमें दान, उपकर, ऋण आदि भी सम्मिलित है के द्वारा ट्रस्ट के कोष सम्पदा एवं साधनों को और बढ़ाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके।

न्यासकर्ता/संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल रू0 5000.00 (पांच हजार रूपये मात्र) की नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है।

वर्तमान में इस ट्रस्ट को पंजीकृत/प्रशासनिक कार्यालय– न्यासकर्ता/संस्थापक श्री जय प्रकाश यादव पुत्र श्री तीर्थराज यादव के निवास ग्राम व पोस्ट–नेउरी, जिला–अम्बेडकर नगर, उ0प्र0 रहेगा। अधिक सुविधाजनक स्थान मिलने व मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की सहमति से इस कार्यालय को समयानुसार स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये　　Rs. 100

रु. 100　　सत्यमेव जयते　　ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

दि० 19 JUL 2018　अम्बेडकरनगर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH　　EB 105799

और क्योंकि न्यासकर्ता/मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध एवं घोषित किया जाता है।

माँ सरस्वती एजूकेशनल एण्ड चैरिटेबुल ट्रस्ट

उद्देश्य एवं नियमावली

1.ट्रस्ट के उद्देश्य :– ट्रस्ट निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा –

1. पाठशालाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रों, निराश्रित केन्द्रों, सर्वेक्षण कैन्द्रों तथा सामुदायिक विकास केन्द्रों, पर्यावरण, एड्स उत्थान केन्द्रों की स्थापना, नामकरण, विकास, सम्बद्ध, आवद्ध, प्रबन्ध, संचालन आदि कर सकना तथा आवश्यक होने पर विभिन्न परिषदों, विभागों, प्रतिष्ठानों, संस्थाओं को शासन स्तर से उन्हें मान्य, सम्बद्ध, आवद्ध, पंजीकृत, अनुमोदित, स्वीकृत करा सकना।
2. विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों तथा व्यवहारिक प्रायोगिक कला, वाणिज्यक, वैज्ञानिक, क्रीड़ा, मार्शल आर्ट, संगीत, तकनीकी, सामाजिक, आधुनिक भाषा, अंग्रेजी, उर्दू, कम्प्यूटर, प्रोफेशनल आदि विषयों पर विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।
3. नागरिकों विशेष कर बालकों, बालिकाओं, युवक, युवतियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक एवं सर्वांगिण विकास तथा स्वावलम्बी बनाने हेतु खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की योजनाओं को संचालित करना।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

दि० 19 JUL 2018

अम्बेडकरनगर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EB 105798

4. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र–छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन अध्यापन/आवास/सुविधाओं आदि की व्यवस्था कर सकना।
5. विभिन्न कक्षाओं, वर्गों के लिए पाठ्यक्रम मानक निर्धारित करना, परीक्षाए लेना।
6. पुस्तकों, साहित्य, पत्रों, पाठ्क्रमों आदि का सृजन, सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण, वितरण आदि कर सकना।
7. शिक्षा एवं शिक्षा पद्धतियों का विकास कर सकना तथा विभिन्न विषयों पर अनुसंधान कर सकना।
8. सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम, एड्स कार्यक्रम, अधिवेशन, गोष्ठियों, सम्मेलन, प्रतियोगिताएं, बैठके, विशेष कक्षाएं, छात्र प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि आयोजित करना।
9. समाज कल्याण विभाग, नाबार्ड, कपार्ट, परिवार कल्याण विभाग, पर्यावरण, मानव संसाधन मंत्रालय, एड्स पर कार्य कर सकना।
10. सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्क्रीन प्रिटिंग, प्रिंटिंग आदि की शिक्षा कर सकना।
11. सामाजिक न्याय के विकास हेतु एवं राष्ट्रीय अखण्डता को अक्षुण्य रखने हेतु विद्यालय, महाविद्यालय, मेडिकल कालेज, विधि महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज, आई०टी०आई०, पुस्तकालय, फार्मेसी कालेज, सी०बी०एस०सी० कालेज, एन०सी०टी०ई० व ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा संचालित सभी कोर्सों, फीजियोथीरेपी आदि संस्थानों की स्थापना कर सकना तथा इनकी शाखाओं की स्थापना, चिकित्सा केन्द्र, अस्पताल, प्रेस की स्थापना, संचालन, विकास आबद्ध, लैब टेक्नीशियन, सम्बद्ध, प्रबन्ध आदि कर सकना।

5

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

दि० 19 JUL 2018

अम्बेडकरनगर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EB 105797

12. व्यक्ति विशेष अन्य सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कालेजों, इंजीनियरिंग कालेजों को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित कर सकना एवं ट्रस्ट में ऐसे संस्थानों को प्राप्त करना, समायोजित कर सकना।
13. ट्रस्ट के उद्‌देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।
14. विधि सम्मति उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार कर सकना।
15. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार कर सकना।
16. कृषि उपयोग कार्य कर सकना व उसका प्रचार प्रसार कर सकना।
17. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास कर सकना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी दे सकना एवं सेमिनार कर सकना।
18. एड्स के बारे में जनजागरण करने हेतु प्रचार प्रसार कर सकना।
19. पुस्तक, पुस्तिकाएं, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र आदि को प्रकाशित, मुद्रित, सम्पादित, वितरित, विक्रति कर सकना।
20. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क/मूल्य/निर्धारित करना तथा प्राप्त करना।
21. पत्राचार द्वारा, अध्यापन/अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्सविधित आवश्यक व्यवस्थाएं कर सकना।
22. उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरण सुधार, ऊसर सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषयों पर जन चेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

दि० 19 JUL 2018

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EB 105801

23. धार्मिक स्थलों का निर्माण व जीर्णोधार कर सकना।
24. जन कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सकना तथा क्रियान्वयन कर सकना।
25. विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता, स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना।
26. विभिन्न संस्थाओं/विद्यालयों/महाविद्यालयों/मेडिकल कालेज/विधि महाविद्यालयों/इंजीनियरिंग कालेजों/प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषाधिकार अन्य को प्रदान कर सकना। कोई समिति/ट्रस्ट/संस्था स्वयं या अपने द्वारा संचालित किसी भी तरह के संस्थान को न्यास में समाहित करने के लिए इच्छुक हो तो, उस समिति/ ट्रस्ट/संस्था द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत होने पर, न्यासियों एवं न्यास मण्डल/बोर्ड के अध्यक्ष की अनुमति से ही, समिति/ट्रस्ट/संस्था को न्यास में समाहित किया जा सकेगा और वह समिति/ट्रस्ट/संस्था न्यास की संस्था/सम्पत्ति मानी जायेगी। उक्त समाहित समिति/ट्रस्ट/संस्था की सम्पूर्ण सम्पत्ति न्यास/ट्रस्ट की मानी जायेगी ।
27. ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा में वृद्धि करना, विनियोजन करना उसका ट्रस्ट के उद्देश्य में प्रयोग करना।
28. ट्रस्ट जन सामान्य के हित में कार्य करेगा। ट्रस्ट यथा सम्भव अपनी सेवाएं/वस्तुएं/लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क, खड़न्जा, तालाबों का निर्माण, मछली पालन, पशुपालन आदि का प्रचार कर सकना।

(6)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

दि० 19 JUL 2018

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

अम्बेडकरनगर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EB 105800

29. ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ के लिए ही कार्य नहीं करेगा, जन कल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों को सदैव अपने समक्ष रखेगा एवं बंजर भूमि, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नेहरू युवा सुधार हेतु रोजगार केन्द्र, प्रौढ़ शिक्षा का प्रचार प्रसार करना।
30. ट्रस्ट अपनी समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु ही व्यय करेगा।
31. ट्रस्ट द्वारा ग्रामीण अभियन्त्रण सेवाओं का संचालन करना।
32. कृषक के उत्थान एवं विकास हेतु कार्य करना। गरीब असहाय एवं जरूरतमन्दों को निःशुल्क शिक्षा देना, पिछड़े वर्गों, अनु0 जातियों, अनु0 जनजातियों को अच्छी शिक्षाओं तथा भारत के किसी भी हिस्से में (संघशासित राज्यों में भी) शैक्षिक संस्थाओं, कृषि विज्ञान, कम्युनिटी, विकास केन्द्रों, अनुसंधान संस्थाएं, महिला कल्याण योजनाएं, राष्ट्रीय अखण्डता कार्यक्रम, स्वास्थ्य केन्द्र या कोई भी कार्य किसी स्थान पर बनाने, प्राप्त करने, शुरू करने और बरकरार रखने के लिए कार्य करना।
33. कृषकों के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजों की जानकारी देना।
34. कृषकों/ग्रामीणों को फूल एवं औषधीय खेती के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादन किये गये माल का आयात व निर्यात करना।
35. कृषकों के उत्थान एवं विकास हेतु पॉलीक्लीनिक कालेज का निर्माण करना।
36. विद्यालयों में वाहन संचालन की सुविधा देना ।

2.प्रारम्भिक उपबन्ध :-

C 7

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उप निबंधक अम्बेडकरनगर दि० 19 JUL 2018

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EB 105802

1. वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत दिनांक से श्री जय प्रकाश यादव पुत्र श्री तीर्थराज यादव को न्यासकर्ता एवं इस न्यास विलेख के रचयिता (Author of deed) भी है को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी सुनिश्चित किया जाता है तथा श्री वेद प्रकाश गोपाल पुत्र श्री तीर्थराज यादव, ग्राम व पोस्ट–नेउरी, अम्बेडकर नगर , श्री विवेक गोपाल पुत्र श्री जय प्रकाश यादव, ग्राम व पोस्ट–नेउरी, अम्बेडकर नगर, श्री विकास गोपाल पुत्र श्री जय प्रकाश यादव, ग्राम व पोस्ट–नेउरी, अम्बेडकर नगर, श्रीमती प्रेमलता पुत्री स्व0 गया प्रसाद, ग्राम व पोस्ट–रामनगर, अम्बेडकर नगर, श्रीमती नीलम देवी पुत्री श्री रामचेत यादव, ग्राम–हैदरपुर, पोस्ट–अतरौलिया, आजमगढ़, श्री आकाश गोपाल पुत्र श्री वेद प्रकाश गोपाल, ग्राम व पोस्ट–नेउरी, अम्बेडकर नगर, श्री आर्यन गोपाल पुत्र श्री वेद प्रकाश गोपाल, ग्राम व पोस्ट–नेउरी, अम्बेडकर नगर, श्री भूधर सिंह पुत्र स्व0 भानू प्रताप सिंह, ग्राम व पोस्ट–लोहरा, आजमगढ़ को ट्रस्टी सुनिश्चित किया जाता है।
2. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी अपने जीवन काल में जब चाहें अपना उत्तरदायित्व ट्रस्टीयों में से किसी एक ट्रस्टी को बहुमत के आधार पर स्थानान्तरित कर सकते है।
3. किसी भी नये ट्रस्टी के चयन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी को रू0 50000.00 (पचास हजार मात्र) बैंक ड्राफ्ट (ट्रस्ट के नाम) बनवाकर आवेदन करना होगा जिसे ट्रस्टीयों के समक्ष रखा जायेगा ट्रस्टीयों द्वारा 3/4 बहुमत से स्वीकृत होने पर व मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुमति के बाद ही उसे ट्रस्टी बनाया जा सकेगा। किन्हीं कारणों से ट्रस्टी न बनाये जाने की स्थिति में आवेदक की धनराशि वापस कर दी जायेगी।

(9)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100

सत्यमेव जयते

ONE HUNDRED RUPEES

दि० 19 JUL 2018

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

अम्बेडकरनगर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EB 105805

4. किसी ट्रस्टी को ट्रस्ट के पद से मुक्त करने की शर्तें निम्न है – मृत्यु, ट्रस्ट के विरूद्ध कार्यों में संलिप्तता पाये जाने, किसी न्यायालय द्वारा 2 वर्षों या इससे अधिक सजा दिये जाने पर, दिवालिया होने पर, पागल होने पर, व्यभिचारी होने पर, त्याग पत्र देने पर, पद मुक्त/निष्काषित किया जा सकता है।

3. मैनेजिंग ट्रस्टी पद का हस्तान्तरण :–

1. मैनेजिंग ट्रस्टी का कर्तव्य है कि अपने जीवनकाल में अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी की व्यवस्था कर दे।
2. मैनेजिंग ट्रस्टी अपने जीवन काल में ही मैनेजिंग ट्रस्टी का पद ट्रस्टीयों में से किसी को प्रदान कर सकता है।
3. किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे, जो कि इस ट्रस्ट डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी को प्रदत्त किये गये हैं।
4. यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा रजिस्ट्रार के यहां रजिस्टर्ड कर सुनिश्चित न कर दी जाय तो श्री जय प्रकाश यादव पुत्र श्री तीर्थराज यादव, ग्राम व पोस्ट–नेउरी, अम्बेडकर नगर के मृत्यु के पश्चात् श्री वेद प्रकाश गोपाल पुत्र श्री तीर्थराज यादव, ग्राम व पोस्ट–नेउरी, अम्बेडकर नगर, उ0प्र0 इस ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी होंगे। नव नियुक्त मैनेजिंग ट्रस्टी को 6 माह के अन्दर ट्रस्टीयों का बहुमत प्राप्त करना होगा अन्यथा की स्थिति में किसी भी ट्रस्टी को 3/4 बहुमत के आधार पर ही मैनेजिंग ट्रस्टी बनाया जायेगा। बहुमत के आधार पर नये मैनेजिंग ट्रस्टी का चयन होने तक श्री वेद प्रकाश गोपाल पुत्र श्री तीर्थराज यादव, ग्राम

(9)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

दि० 19 JUL 2018

अम्बेडकरनगर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EB 105804

व पोस्ट–नेउरी, अम्बेडकर नगर मैनेजिंग ट्रस्टी बने रहेंगे। उपरोक्त 6 माह के कार्यकाल में श्री वेद प्रकाश गोपाल पुत्र श्री तीर्थराज यादव को मैनेजिंग ट्रस्टी को प्रदत्त सभी अधिकार व विषेशाधिकार प्राप्त होंगे।

5. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को चाहिए कि वह अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी लिखित रूप में अपने हस्ताक्षर करके व्यक्त कर दे। मैनेजिंग ट्रस्टी यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहां रजिस्टर्ड कराके अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है।
6. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी जब भी उचित समझे बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक आयोजित कर सकता है। जिसकी अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी स्वयं करेगा।
7. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिनको मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
8. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा दिये गये किसी भी सुझाव को मानना, स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतयां मैनेजिंग ट्रस्टी की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है। इस सन्दर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा।
9. यहां पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी अपने जीवनकाल में अपना कार्यभार अपने ट्रस्टीयों में से किसी को वास्तविक रूप से हस्तान्तरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार नहीं कर सकेगा।
10. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी तभी अपने ट्रस्टीयों में से किसी का हस्तान्तरण विषय पर विचार एवं पुनः विचार करने हेतु स्वतंत्र है जब तक कि वास्तविक रूप से कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को न प्रदान कर दे।

(10)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

दि० 19 JUL 2018

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EB 105803

11. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा अपने ट्रस्टीयों में से किसी को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण हस्तान्तरण माना जायेगा।

4. बोर्ड ऑफ टस्टीज :–

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी यदि उचित समझे तो विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है जिसमें कि अधिकतम पन्द्रह सदस्य होंगे।
2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी किसी भी व्यक्ति को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज मनोनित करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी की इच्छा पर निर्भर करती है तथा मैनेजिंग ट्रस्टी किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व भी ट्रस्टीयों की राय/बहुमत से बोर्ड आफ ट्रस्टीज के पद से हटा सकता है। बोर्ड आफ ट्रस्टीज, मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह/प्रसाद पर्यन्त ही कार्य करेंगे।

5. मैनेजिंग ट्रस्टी का विशेषाधिकार :– मैनेजिंग ट्रस्टी को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत/संशोधित कर दे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्ट के कार्यकलापों में से किसी भी स्तर पर कोई दिशा निर्देश दे सकता है जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा। मैनेजिंग ट्रस्टी अपने विशेषाधिकार के तहत 10 ट्रस्टीयों का चयन अपने सम्पूर्ण

(11)

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

29AA 200596

जीवन काल में बिना आवेदन शुल्क या प्रस्ताव केवल इच्छुक अभ्यर्थी के सहमति के आधार पर कर सकता है।

6. मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्याकाल एवं सुविधाएं :– ट्रस्ट का कार्यालय ही मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यालय होगा।

7. कार्य क्षेत्र :– ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारत होगा। वह सामाजिक उत्थान हेतु भारत के किसी भी राज्य व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है अथवा सहायता व राय दे सकता है।

8. सचिव/उपसचिव की नियुक्ति :–

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन कार्यों को एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए एक सचिव की आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपसचिवों की नियुक्ति कर सकेगा।
2. यह कि सचिव/उपसचिव के वेतन, भत्ते, सुविधाएं अथवा कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा निश्चित किये जायेंगे।
3. यह कि उक्त सचिव/उपसचिव, मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी ट्रस्टीयों के बहुमत से उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के किसी प्रकार की अनुशासनहीनता /कार्यशिथिलता, ट्रस्ट के विरूद्ध कार्य करने की स्थिति में उनके विरूद्ध

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

29AA 200597

प्रशासनिक/विधिक/अनुशासनात्मक/प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है तथा उक्त पदों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

9. उपाध्यक्ष की नियुक्ति :–

1. मैनेजिंग ट्रस्टी, ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने व देखभाल करने के लिए एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम दो उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर सकेगा।
2. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों के वेतन, भत्ते, सुविधाएं, कार्य अथवा नियम मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा निश्चित किये जायेंगे।
3. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों, मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी किसी भी समय उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के किसी प्रकार की अनुशासनहीनता/कार्यशिथिलता, ट्रस्ट के विरूद्ध कार्य करने की स्थिति में उनके विरूद्ध प्रशासनिक/विधिक/अनुशासनात्मक/प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त कार्यरत व्यक्तियों को उनके पदों से हटा सकता है तथा इन पदों पर नियुक्तियां कर सकता है अथवा उक्त पदों के कर्तव्यों एवं अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित व प्रदान कर सकता है।

10. मैनेजिंग ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य :– यह कि इस डीड के अन्तर्गत मैनेजिंग ट्रस्टी को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त मैनेजिंग ट्रस्टी के निम्न अधिकार एवं कर्तव्य भी होंगे।

24

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

38AD 064355

4. विभिन्न कार्यकलापों उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु कोष्ठों/विभागों/केन्द्रों/संस्थाओं/उपसंस्थाओं का गठन कर सकना तथा उनके संयोजकों/निदेशकों पदाधिकारियों आदि के संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम/उपनियम बना सकना।
5. ट्रस्ट/संस्था को प्राप्त किसी शिकायत की जाँच हेतु निर्णायक नियुक्त कर सकना।
6. एक से अधिक विशेष अधिकारी नियुक्त होने की स्थिति में उनका कार्य विभाजन कर सकना।
7. प्रचार/प्रसार/मुद्रण/प्रकाशन/वितरण/विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।
8. जन सामान्य के कल्याणार्थ विभिन्न आयोजन कर सकना। सचिव द्वारा किसी प्रकार का लिया गया निर्णय मैनेजिंग ट्रस्टी की स्वीकृति के बाद ही मान्य होगा।

13. उपसचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :–

1. सचिव की अनुपस्थिति में उनके पद के अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करना।
2. सचिव द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत करने पर उन अधिकारों/कर्तव्यों का पालन करना जो उसे लिखित रूप से प्राप्त है।
3. सचिव द्वारा लिखित रूप से कार्यभार/कर्तव्यों का पालन करना।

14. बैंक एकाउण्ट :–

13

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 29AA 200598

1. बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।
2. ट्रस्ट के समस्त कार्यों का उत्तरदायी ढंग से देख रेख करने के लिए ट्रस्ट के उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिवों की नियुक्ति करना।
3. इस डीड में उल्लिखित ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं नियमावली में संशोधन/परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रीकृत होने के दिनांक से मान्य होगा।

11. <u>उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य</u> :– मैनेजिंग ट्रस्टी की अनुपस्थिति में मैनेजिंग ट्रस्टी की लिखित अनुमति से मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा बताये गये विषय पर विचार/विमर्श हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना परन्तु उपाध्यक्ष बिना मैनेजिंग ट्रस्टी की अनुमति के कोई निर्णय नहीं ले सकता है।

12. <u>सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य</u> :– यह कि ट्रस्ट के समस्त कार्यों के लिए ट्रस्ट का सचिव अन्तिम रूप से कार्यवाही एवं उत्तरदायी है। ट्रस्ट के सचिव के निम्न कर्तव्य एवं अधिकार हैं –
1. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी कार्यकलापों एवं दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना।
3. ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी कार्यों हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति, पदमुक्त तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक/प्रशासनिक कार्यवाही कर सकना।

15

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

38AD 064356

1. ट्रस्ट का खाता किसी बैंक में खोला जा सकेगा। मैनेजिंग ट्रस्टी स्वयं अथवा उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति, मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोल सकता है अथवा संचालित कर सकता है। सामान्यतया खाता मैनेजिंग ट्रस्टी व ट्रस्टी का संयुक्त रहेगा। विशेष परिस्थिति में खाते का संचालन तीन लोग भी (ट्रस्टीयों में से) संयुक्त रूप से कर सकते हैं। मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा एकल खाते का संचालन किया जा सकता है।

2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान/केन्द्र/कार्यक्रम ईकाई कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है। इस स्थिति में स्वयं ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत बैंक खाता खोला जा सकता है अथवा संचालित किया जा सकता है।

15. <u>विधिक कार्यवाही</u> :— संस्था/ट्रस्ट की तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो सचिव मैनेजिंग ट्रस्टी की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी स्वयं या अन्य को अधिकृत कर सकता है।

16. <u>सम्पत्ति सम्बन्धी</u> :—

1. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होते है।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

38AD 064357

2. ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई निर्णय लेने/लेख, विलेख बनाने हेतु मैनेजिंग ट्रस्टी किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।
3. ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी, ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख/विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।
4. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति क्रय, विक्रय कर सकता है, रेहन रख सकता है, किराये पर दे सकता है अथवा ले सकता है।
5. ट्रस्ट किसी से ऋण, दान, उपहार, आग्रह, भेंट, सम्मान, पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है और दे सकता है।
6. ट्रस्ट धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है, किसी बैंक, संस्था कम्पनी आदि की किसी योजना में धन/सम्पत्ति को विनियोजित कर सकता है।
7. चल/अचल सम्पत्ति की प्रत्याभूति (Gurantee), भाड़ा क्रय (Hire Purchase)] अनुज्ञप्ति (License)] बन्धक (Mortage)] भारित (Charge)] गिरवी (Pledge)] विभाजित (Partition) आदि कर सकता है/ले सकता है/ दे सकता है।

17. विशेष :–

1. इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय व महाविद्यालय/कार्यक्रम/ईकाई/कार्यालय/संस्था/ उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम उपनियम बनाये जा सकते हैं परन्तु यदि वह इस डीड ऑफ ट्रस्ट " माँ सरस्वती

17

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 45AD 362701

एजूकेशनल एण्ड चैरिटेबुल ट्रस्ट " के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी प्राविधान का अतिक्रमण करते हैं तो वह नियम/उपनियम, अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होंगे।

2. मैनेजिंग ट्रस्टी यदि उचित समझे तो किसी/किन्हीं परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड से किसी/किन्ही प्राविधान/प्राविधानों को शिथिल कर सकते है तथा प्राविधान/प्राविधानों के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकते है। इस सम्बन्ध में मैनेजिंग ट्रस्टी का विवेक/व्यवस्था ही अन्तिम होगी।

यह कि " माँ सरस्वती एजूकेशनल एण्ड चैरिटेबुल ट्रस्ट " की उक्त न्यास विलेख **(Instrument of Trust)** एवं उसमें सन्निहित " माँ सरस्वती एजूकेशनल एण्ड चैरिटेबुल ट्रस्ट " की उद्देश्य एवं नियमावली एतद् द्वारा अधिनियमित, अनुमोदित, घोषित, स्वीकृत, आत्मार्पित एवं तत्काल से कार्यान्वित की जाती है कि उक्त न्यास विलेख **(Instrument of Trust)** को पढ़कर एवं समझकर व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये गये।

8726826230
9450992920

(जय प्रकाश यादव)

मैनेजिंग ट्रस्टी

माँ सरस्वती एजूकेशनल एण्ड चैरिटेबुल ट्रस्ट

साक्षीगण

नाम [illegible]	नाम [illegible]
पता [illegible] 9454562651	पता [illegible] 9554512885

सं० 462 को० ... शा०नं० 413 ह०

न्यास पत्र

प्रतिफल- 5000 स्टाम्प शुल्क- 1100 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 100 योग : 200

श्री जय प्रकाश ,
पुत्र श्री तीर्थराज यादव
व्यवसाय : कृषि
निवासी: ग्योरी,आलापुर,अ० न०

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 23/07/2018 एवं 04:48:43 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्ष

विनोद कुमार वर्मा (प्रभार
उप निबंधक :आलापुर
अंबेडकर नगर
23/07/2018

अमर नाथ सोनकर
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - त

सं० 4628 को० 1 बा० सं० 4693 ह०

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त
न्यासी: 1

श्री जय प्रकाश, पुत्र श्री तीर्थराज यादव

निवासी: न्योरी,आलापुर,अ० न०

व्यवसाय: कृषि

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान
पहचानकर्ता : 1

श्री सुरेन्द्र प्रसाद , पुत्र श्री रामजीत यादव

निवासी: लखमीपुर,आलापुर,अ० न०

व्यवसाय: कृषि

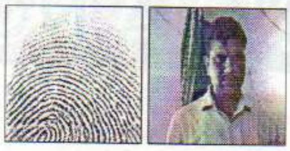

पहचानकर्ता : 2

श्री हरिनाथ , पुत्र श्री रघुबंश

निवासी: आमादरबेशपुर,आलापुर,अ० न०

व्यवसाय: कृषि

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :पहचान पत्र

विनोद कुमार वर्मा (प्रभारी)
उप निबंधक : आलापुर
अंबेडकर नगर

अमर नाथ सोनकर
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - तदर्थ

नं० 4629 को० 1 शा०नं० 4627 है।

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 15 के पृष्ठ 63 से 96 तक क्रमांक 13 पर दिनाँक 23/07/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के ह

विनोद कुमार वर्मा (प्रभार
उप निबंधक : आलापुर
अंबेडकर नगर
23/07/2018